

प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण वर्ष 2016

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम यु.एन. अमीर अहमद 2. वर्तमान धारित पद डी.डी. (क) 3. कार्यालय का नाम डी.डी. (प्रशासनिक) एम.डी.डी.
 4. वर्तमान वेतन G3040+GP+DA 5. मविप्य निधि क्रमांक 244/42/02 6. कर्मचारी संख्या 19333-0343

जिस जिले, उप-सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा खीरे		वर्तमान मूल्य	यदि खय न हो तो बसलाइय कि किसके नाम पर धारित है उसका अधिकारी/कर्मचारी से क्या संबंध है	जसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जितकी गई हो उसका नाम तथा खीरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अनुवित
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
5700032	एम.डी.डी. - 36	-	40.0 लाख	17 अक्टूबर 2012	25.3-92	60000/-	
5700032	डी.डी. (क) (एम.डी.डी. 0271)	-	40.0 लाख	17 अक्टूबर 2012	25.3-92	96000/-	
5700032	42 (एम.डी.डी. 0271)	-	40.0 लाख	17 अक्टूबर 2012	25.3-92	-	

हस्ताक्षर यु.एन. अमीर अहमद
 नाम यु.एन. अमीर अहमद
 पद डी.डी. (क)
 कार्यालय डी.डी. (प्रशासनिक) एम.डी.डी.
 पता एम.डी.डी. (क) (एम.डी.डी. 0271)

* जहां लागू न हो खाट दीजिए
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाए
 *** इसमें आत्यकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं

टिप्पणी- संकलन द्वारा ग्राह्य स.प्र. शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1985 के नियम 19(1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्यावर (अचल) संपत्ति का विवरण देवे।

इस कार्यालय सम्बन्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
 सलमान - सपरवेकानुसार